समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 25 September 2026

दिल्ली-एनसीआर मे हांईवे और एक्सप्रेसवे पर बाइक-ऑटो की एंट्री बैन : नितिन गडकरी के सख्त निर्देश, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Publisher

Published on 07 Jul 2025

दिल्ली पुलिस को गडकरी का निर्देश- हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टू-थ्री व्हीलर की एंट्री रोके, सुरक्षा के लिए नियमों का सख्ती से पालन हो।

दिल्ली-एनसीआर : दिल्ली-एनसीआर मे हांईवे और **एक्सप्रेसवे** पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों के बढ़ते अवैध प्रवेश पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जिन रास्तों पर बाइक और ऑटो के प्रवेश पर पहले से रोक लगी हुई है, वहां हर हाल में नियमों का पालन कराया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

हाईवे पर बाइक और ऑटो के कारण बढ़ रहे हादसे

एक उच्चस्तरीय बैठक में नितिन गडकरी ने चिंता जताई कि **दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे**, **बदरपुर एलिवेटेड हाईवे**, **दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे** और **द्वारका एक्सप्रेसवे** जैसी सड़कों पर **टू-थ्री व्हीलर** का अवैध प्रवेश सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहा है। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल **वी. के. सक्सेना, दिल्ली मेयर रेखा गुप्ता, एनएचएआई और सड़क मंत्रालय के अधिकारी** मौजूद थे।

कहां-कहां पहले से लागू है प्रतिबंध ?

एक्सप्रेसवे / हाईवे	**प्रतिबंध लागू होने की तिथि**
बदरपुर एलिवेटेड हाईवे	16 फरवरी 2024

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे जनवरी 2021

दिल्ली-गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे जनवरी 2024

इन रास्तों पर पहले से ही **टू और थ्री व्हीलर** के प्रवेश पर पाबंदी है, लेकिन पालन में लापरवाही से हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

गडकरी ने दी चेतावनी

गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाई **स्पीड ट्रैफिक** वाले रूट्स पर नियमों के उल्लंघन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अनुशासन के बिना **सड़क सुरक्षा** संभव नहीं है और लोगों को कानून का पालन करवाने के लिए सख्ती जरूरी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस को नियमित निगरानी और चालान की जिम्मेदारी दी गई है।

हटाए जाएंगे अवैध होर्डिंग और विज्ञापन

नितिन गडकरी ने सड़क किनारे लगे **अवैध होर्डिंग्स** और **विज्ञापन बोर्ड्स** को भी हादसों का कारण बताते हुए उन्हें हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये ड्राइवरों का ध्यान भटकाते हैं और कई बार दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। इसके लिए एमसीडी को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

नए निर्देशों का क्या असर होगा?

१. **हाईवे पर चलने वाले वाहन अधिक सुरक्षित होंगे**।

२. **एक्सप्रेसवे पर यातायात अनुशासन बढ़ेगा**।

३. **बाइक और ऑटो चालकों मे जागरूकता और कानून का डर बढ़ेगा**।

४. **सड़क दुर्घटनाओं मे संभावित कमी आएगी**।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

---

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.